उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग , लखनऊ, 226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

सं0–219–शिजां0–05द / पाकालि / 2020–7(15)05द / 2018

दिनाँक: 07 फरवरी, 2020

पंजीकृत

श्री अजय सिंह (89071),
सहायक अभियन्ता,
88 / 51, प्रेम नगर,
कानपुर–208001

विषय :– अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–08–अ0प्र0–04 / पाकालि / 2013–9(24) / 2013 दिनांक 22.06.2013 द्वारा कारपोरेशन हित में आपका स्थानान्तरण नियोजन स्कन्ध, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ से केस्को, कानपुर किया गया। यह कि आप बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रह थे, अतः आपको नियोजन स्कन्ध के कार्यालय ज्ञाप सं0–1191–नि0 / एस0इ0एम0यू0 दिनांक 24.06.2013 द्वारा केस्को, कानपुर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए in-absentia कार्यमुक्त कर दिया गया। कालान्तर में, आपका स्थानान्तरण कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–11–अ0प्र0–04 / पाकालि / 2013–9(24) / 2013, दिनांक 16.07.2013 द्वारा निरस्त कर दिया गया। परन्तु, आप द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण, आपको कारपोरेशन के पत्र सं0–4067–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 15–9(65)ई0एम0–03 / 89, दिनांक 03.12.2015 द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु कारपोरेशन के आदेशों का अनुपालन न करते हुये, आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए।

तद्पोरान्त, आपको कारपोरेशन के पत्र सं0–1306–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 15, दिनांक 05.09.2016 के क्रम में निर्गत पत्र सं0–1430–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 15, दिनांक 04.10.2016 व पत्र सं0–1715–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 15, दिनांक 16.12.2016 के माध्यम से अनुस्मारित भी कराया गया, जो डाक विभाग द्वारा अवितरित वापस प्राप्त हुए।

इस प्रकार आप द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन न करने तथा दिनांक 20.06.2013 से लगातार बिना किसी सूचना के अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के कारण, आपको उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के प्रस्तर–3 सामान्य नियम 1 एवं 2 का उल्लंघन करने का प्रथमदृष्टया दोषी पाते हुये, कारपोरेशन की जाँच समिति द्वारा आपको तद्नुसार आरोपित किया गया।

आपके विरूद्ध मुख्य अभियन्ता (जांच समिति) के माध्यम से सम्पादित की गयी अनुशासनिक कार्यवाही में आपको समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी, आप द्वारा न तो आरोप–पत्र का उत्तर दिया गया और न ही अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करायी गयी। फलस्वरूप, जाँच समिति द्वारा आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये, आप पर लगाये गये आरोप को सिद्ध पाया गया।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में, जांच समिति से प्राप्त आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि सिद्ध पाये गये आरोप के सम्बन्ध में यदि आप अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इसे 14 दिनों की समयावधि में कारपोरेशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि उक्त निर्धारित अवधि में आपका अभ्यावेदन प्राप्त नही होता है तो यह मान लिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नही कहना है एवं तद्नुसार प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर कारपोरेशन द्वारा निर्णय ले लिया जायेगा।

संलग्नकः– यथोपरि।

(एम देवराज)
प्रबन्ध निदेशक